संख्याः 371857/ IV(2)-श0वि0–2025 / 47(सा0)21 (67407)

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक– 18 फरवरी, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में वाह्य सहायतित योजना "नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (हल्द्वानी एवं अन्य शहर)" में पूँजीगत मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 3875 / श0वि0नि0 / UUSDA (लेखा), दिनांक 15.11.2025 एवं कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 के पत्रांक– यू0यू0एस0डी0ए0 / एफ0एण्ड0ए0 / 1815, दिनांक 12.11.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–2026 में पूंजीगत मद के अन्तर्गत वाह्य सहायतित योजना नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (हल्द्वानी एवं अन्य शहर) (ऋण सं0 4407-IND) के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के सिविल कार्यों हेतु संलग्न बी0एम0 9 के अनुसार **अनुदान सं0–13, 'लेखाशीर्षक 4217–03–051–9701–नगर अवस्थापना का सुदृढीकरण (ए0डी0बी0)–53–वृहद निर्माण'** में उपलब्ध बचतों से **रू0 80.00 करोड़ (रूपये अस्सी करोड़ मात्र)** की धनराशि का पुनर्विनियोग **अनुदान सं0–13, 'लेखाशीर्षक 4217–03–051–9704–नगर अवस्थापना का सुदृढीकरण (हल्द्वानी एवं अन्य शहर) ए0डी0बी0–53–वृहद निर्माण'** में करते हुए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि **रू0 80.00 करोड़ (रूपये अस्सी करोड़ मात्र)** को आपके द्वारा आहरित कर कार्यकम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से / यथा व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों / कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथ जो ऋण अनुबन्ध / परियोजना अनुबन्ध के कम में विषयान्तर्गत वर्णित कार्यकम के अधीन स्वीकृत है तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन एवं अधिप्राप्ति की कार्यवाही की गयी है।

(3) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय–समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा।

(5) अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

File No. UD2-II/A/3/2024-IV-2-Urban Development Department (Computer No. 67407)
Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 18/02/2026 10:30 am

Scanned with OKEN Scanner

(7) धनराशि व्यय करते समय वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 287566/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि की ए0डी0बी0 से यथाशीघ्र प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31.03.2026 तक उपयोग सुनिश्चित करते हुए तद्नुसार मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–2026 के आय–व्यय के अनुदान अनुदान सं0–13, 'लेखाशीर्षक 4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–97–वाह्य सहायतित परियोजनाएं–04–नगर अवस्थापना का सुदृढीकरण (हल्द्वानी एवं अन्य शहर)–53–वृहद निर्माण' के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 370814, दिनांक 13.02.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से संलग्न एलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
Santosh Badoni
Date: 17-02-2026
15:36:43

(संतोष बडोनी)
अपर सचिव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 17-02-2026
18:36:27

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

File No. UD2-11/A/3/2024-IV-2-Urban Development Department (Computer No. 67407)
Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 18/02/2026 10:30 am
Scanned with OKEN Scanner

वर्ष 2025–26 में वाह्य सहायतित योजना "नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (हल्द्वानी एवं

Print Date:-18/Feb/2026 11:47 AM

Signature Not Verified

Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 18-02-2026 11:47:36

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025-2026)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26020130016

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 18-FEB-2026

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	03	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	97	वाह्य सहायतित योजना
04	नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (हल्द्वानी एव अन्य शहर)(ए0डी0बी0))		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	9	7	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	1600000000	800000000	0	2400000000
	योग	1600000000	800000000	0	2400000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 80,00,00,000 (Rupees Eighty Crores Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2602:0005

Approval Status : e-Sign letter

Scanned with OKEN Scanner